

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक-प. 1(04)गृह-1/2026 (28710)

जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षरित दिनांक

—:आज्ञा:—

क्रीडा पदक विजेताओं को बिना पारी के नियुक्ति नियम, 2017 (संशोधित नियम, 2020) के अधधीन चयनित निम्न 04 खिलाड़ियों को राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 अन्तर्गत राजस्थान पुलिस सेवा में वर्ष 2025-26 की रिक्तियों के विरुद्ध निम्नांकित शर्तों के अधधीन प्रोविजनल नियुक्ति प्रदान की जाती है:—

क्र.सं	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	वर्ग
1.	सुश्री मानिनी कौशिक	श्री अनिल कौशिक	23.10.2000	सामान्य
2.	श्री रवि बिश्नोई	श्री मांगीलाल बिश्नोई	05.09.2000	ओबीसी
3.	सुश्री दिव्यकृति सिंह	श्री विक्रम सिंह	22.10.1999	सामान्य
4.	श्री सचिन	श्री सतीश कुमार	19.07.1999	सामान्य

यह प्रोविजनल नियुक्ति आदेश राजस्थान पुलिस सेवा नियम-1954 अंतर्गत एवं निम्नांकित शर्तों के अधधीन जारी किए जाते हैं:—

1. इनके चरित्र सत्यापन तथा शारीरिक मापतोल एवं स्वास्थ्य परीक्षण की कार्यवाही कार्यग्रहण के पश्चात एक माह की अवधि में विभाग द्वारा करवाई जायेगी जिसमें इन्हें निर्धारित समयानुसार उपस्थित होना होगा।
2. शारीरिक मापतोल एवं स्वास्थ्य परीक्षण नियमानुसार उपयुक्त होना आवश्यक हैं।
3. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थियों को स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी एवं प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाने पर ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी।
4. पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन, जो प्रतिकूल ना हो। चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने तक ये नियुक्तियां प्रोविजनल रहेंगी।
5. पूर्व से राज्य सरकार/केन्द्र सरकार में सेवारत कार्मिकों को कार्यग्रहण के समय सेवारत विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. इनकी वरिष्ठता क्रीडा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम, 2017 (संशोधित नियम, 2020) के नियम 3 (10) के अनुसार निर्धारित की गई है।
7. इनका चयन वर्ष 2025-26 की रिक्तियों के विरुद्ध किया गया है। अतः विभागीय स्तर पर इनकी वरिष्ठता का निर्धारण का क्रम नियमानुसार (क्रमशः पदोन्नति/सीधी भर्ती/क्रीडा पदक विजेता खिलाड़ी नियुक्ति) निर्धारित किया गया है।
8. क्रीडा पदक विजेता नियुक्ति नियम 3(6) के अनुसार चयनित खिलाड़ी को 5 वर्ष की कालावधि में राजस्थान पुलिस सेवा नियम 1954 के अधधीन राजस्थान पुलिस सेवा के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता (स्नातक) अर्जित करनी होगी, जिसमें विफल रहने पर नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।
9. उक्त नियुक्ति 02 वर्ष की कालावधि के लिए परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश, परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर की जाती है।
10. इन परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.03.2006, 08.06.2015 तथा 30.10.2017 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा।
11. इन परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को क्रीडा पदक विजेताओं को बिना पारी के नियुक्ति नियम, 2017 (संशोधित नियम, 2020) के नियम 3(5) अन्तर्गत निर्धारित विशेष पाठ्यक्रम ध्व्यावसायिक पाठ्यक्रम निर्धारित समयावधि में पूर्ण करना आवश्यक होगा।
12. यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा अवधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये तो राज्य सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त प्रभाव से विमुक्त कर सकेगी।

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, 1112 प्रथम तल, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।

0141-2227294, IP 2820457/Ext.-22325, 22324 Email : home.police@rajasthan.gov.in



13. सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
14. जो अभ्यर्थी विवाहित है उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जीवित संतानों की सूचना एवं धूम्रपान नहीं करने संबंधी घोषणा उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्याया उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं है परन्तु यदि प्रथम प्रसव से एक जीवित संतान है एवं पश्चातवर्ती प्रसव में एक से अधिक संतान उत्पन्न हुई है, तो ऐसी संतानों को एक इकाई ही माना जावेगा।
15. सेवा में नियुक्ति के पश्चात कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान प्रशिक्षण की समाप्ति के 02 वर्षों के भीतर त्याग पत्र दे देता है या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार को संदत्त करने की अपेक्षा की जावेगी।
16. नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों की जांच के अध्यक्षीन रहेंगी।
17. नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष संख्या 1113, गृह (ग्रुप-1) विभाग, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में कार्यग्रहण करना आवश्यक होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रत्नेश कुमार शर्मा)

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, युवा मामलें एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार को उनकी अशा० टीप क्रमांक: प.4(4) खेल/2025 दिनांक 03.02.2026 के कम में।
4. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव, राजस्थान जयपुर।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज० जयपुर।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव/शासन विशिष्ट सचिवगण।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
9. निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
10. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज० जयपुर।
11. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग उक्त नियुक्ति आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. संबंधित अधिकारी 1. सुश्री मानिनी कौशिक/अनिल कौशिक, एफ-4, 187, मोरी नगर, अजमेर रोड़ पुरानी चुंधी के पास जयपुर पिन नं-311302 2. श्री रवि बिश्नोई/मांगीलाल बिश्नोई ग्राम/पो0 बिरामी, कुडी जोधपुर पिन नं-342027 3. सुश्री दिव्यकृति सिंह/विक्रम सिंह, गांव मुंडोता तह0 आमेर पुलिस थाना कालवाड़, जयपुर पिन नं-303706 4. श्री सचिन/सतीश कुमार, गांव बड़बर तह0 बुहाना पुलिस थाना बुहाना, झुंझुनु पिन नं-333502
13. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली !

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, 1112 प्रथम तल, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।
0141-2227294, IP 2820457/Ext.-22325, 22324 Email : home.police@rajasthan.gov.in